

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 677/ 2024

IN THE MATTER OF

CHANDER PRAKASH

..... APPLICANTS

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD & Ors.


RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 1 with supporting affidavit	
2.	Annexure-R-1/1: Copy of letter dated 01.10.2024 received from General Manager, Haryana Forest Development Corporation, Sirsa	

Filed By:

Date: 01.10.2024



Rahul Khurana, Advocate
Counsel for Respondent No. 1
09811894060
rkhuranalegal@gmail.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

O.A. No. 677/ 2024

IN THE MATTER OF

CHANDER PRAKASH

..... **APPLICANTS**

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD & Ors.

RESPONDENTS

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1 i.e. HARYANA
STATE POLLUTION CONTROL BOARD**


Most Respectfully Showeth:

1. That above subjected Original Application has been filed against felling of trees in Government School at Ahmedpur, Distt. Sirsa. The present reply is being filed through Shri Vinod Balyan, Regional Officer, HSPCB, Sirsa who is authorised and competent to file the same on behalf of answering respondent. The answering respondent is filing the present reply dealing with the issues pertaining to Answering respondent and liberty is being craved to file detailed/additional reply, as and when need arises with the permission of this Hon'ble Tribunal.
2. That answering respondent has sought report from the Haryana Forest Development Corporation, Sirsa which vide its letter dated 01.10.2024 has submitted information regarding Resolution dated 29.03.2023 of Gram Panchayat, Ahmedpur for felling of trees (plants) standing in land situated in Govt. Middle School, Ahmedpur forwarded by the Block Development and Panchayat

Officer (BDPO) and by the District Elementary Education Officer (DEEO), Sirsa. Copy of letter dated 01.10.2024 received from General Manager, Haryana Forest Development Corporation, Sirsa is annexed herewith as **ANNEXURE R-1/1**.

3. That in view of the facts stated in the letter dated 01.10.2024 of General Manager, HFDC, Hisar, no action is required on the part of answering respondent at present stage. The Forest Department is concerned department regarding legality of the activity challenged in the present OA.

In view of the submissions made herein above, it is humbly prayed that present OA may kindly be dismissed qua the answering respondent.


Regional Officer,
Haryana State Pollution Control Board, Sirsa
(For Respondent No.1)

Date: 01.10.2024

Place: Sirsa

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 677/ 2024

IN THE MATTER OF

CHANDER PRAKASH

..... APPLICANTS

VERSUS


HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD & Ors.

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Vinod Balyan, Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board,
Sirsa aged about 57 Years do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am authorized representative of the Respondent No.1 in present case. I am well conversant with the facts and circumstances of the case therefore, I am competent to swear this affidavit.
2. That I have read the contents of accompanying reply which has been drafted under my instructions.
3. That annexures are true copy of their originals.



Balyan
DEPONENT

VERIFICATION

Verified that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge and on the basis of information derived from the Official record which I believe to be true and no material fact has been concealed therein.

ATTESTED
[Signature]
NOTARY
FATEHABAD, HARYANA

Balyan
DEPONENT

01 OCT 2024

14818

~~all work~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

Sushil Kumar
Stamp Vender
Fatehabad



कार्यालय

PAGE (1 to 4)

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, सिरसा
(हरियाणा सरकार का उपक्रम)

Office Address:- Forest Complex, M.I.T.C. Colony, Hisar By Pass Road, Sirsa.

Ph. 01666-243020

E-mail address:- hfdcsirsa@gmail.com

क्रमांक 743
सेवा में,

दिनांक 01/10/24


Regional Officer,
Haryana State Pollution Control Board,
Sirsa Region.

विषय- Regarding Action taken report in the metter of OA No. 677 of 2024 titled as Chander Parkash Vs Haryana State Pollution Control Board & Ors.

संदर्भ- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 357 दिनांक 12.08.2024.

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बंध में आपकी सेवा में अवगत करवाया जाता है कि वन विकास निगम कार्यालय सिरसा, हरियाणा सरकार वन विभाग की एक स्वायत्त संस्था/युनिट है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी संस्थानों/ग्राम पंचायतों व अन्यो की जमीन पर खड़े वृक्षों को सरकार द्वारा निर्धारित किये गये रेटों पर खरीदकर कटाई का कार्य करना है।

विषयांकित के सम्बंध में आपकी सेवा में अवगत करवाया जाता है कि इस कार्यालय को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा कार्यालयों से ग्राम पंचायत अहमदपुर द्वारा उनके कार्यालय में दिये Resolution की प्रति संलग्न करते हुये पेड़ों को कटवाने बारे इस कार्यालय को लिखा गया था, जिस अनुरूप इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार मौके पर खड़े वृक्षों की मार्किंग लिस्ट सरपंच ग्राम पंचायत/सम्बंधित विभाग की उपस्थिति में बनाने उपरांत नियमानुसार सहमति पत्र जारी करते हुये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा को आवश्यक सहमति/स्वीकृति के लिए लिखा गया था। सम्बंधित विभाग द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने उपरांत निगम कार्यालय के अर्न्तगत कटाई ईन्चार्ज द्वारा कटवाये जाने वाले वृक्षों को सम्बंधित स्कूल व सरपंच ग्राम पंचायत से चार्ज में लिए जाने उपरांत कटाई कार्य को आरम्भ किया गया था, की जा रही कटाई दौरान दिनांक 09.10.2023 को ग्रामीणों द्वारा किये विरोध के भद्देनजर कटाई कार्य को बन्द कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय सिरसा कार्यालय को कर दी गई थी। इस उपरांत शेष बचे वृक्षों के कटाई कार्यो को नहीं किया गया है व सम्बंधित विभाग से किए सहमति पत्र को रद्द कर दिया गया है। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
सिरसा।
01/10/24

ग्राम पंचायत, अहमदपुर

ब्लाक सिरसा, जिला सिरसा (हरियाणा)

क्रमांक..... 20

सरपंच : संदीप कुमार

दिनांक 29/03/2023

नकल प्रस्ताव नं० 20

मो. 86830-03066

दिनांक - 29/03/2023

पासकर्ता - ग्राम पंचायत, अहमदपुर
खण्ड / जिला - सिरसा

यह है कि सरपंच ने बताया कि गांव 20 व 0 मां विद्यालय के समीप के पेड़ हैं। जो कि स्कूल भवन के पास हैं व कुछ पेड़ सुरक्षित हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं जिससे स्कूली बच्चों को नुकसान हो सकता है। इस बारे में एम.ए. पंचायत विचार-विमर्श करे। एम.ए. पंचायत ने विचार-विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया कि उक्त पेड़/वृक्ष को उखाड़ा जावे। वन विभाग सिरसा से पत्राचार जावे।

नकल प्रस्ताव भागामी कार्यवाही हेतु श्रीमान B.D.P.O सिरसा के माध्यम से General manager Haryana Forest Development Corporation (G.M. HFDC) वन विकास निगम सिरसा की सेवा में भेजा जावे। स्वीकार है।

संदीप कुमार
६० हिन्दी

कुलदीप चंद पंच
६० अंग्रेजी

संजीव कुमार पंच
६० हिन्दी

अमनदीप कौर पंच
६० अंग्रेजी

पूजा रानी पंच
६० अंग्रेजी

सुखविन्द पंच
६० अंग्रेजी

सुमन रानी
६० अंग्रेजी

संदीप कुमार पंच
६० अंग्रेजी

आशा चमकौर पंच
६० हिन्दी

इस्तासल मेम बरा है

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक अस्तल है कार्यवाही किताब में दर्ज है।

सरपंच संदीप कुमार
ग्राम पंचायत, अहमदपुर
ब्लाक सिरसा

A-1



खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा।



सेवा में

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
सिरसा।

कमांक 125

दिनांक 7/4/2023

विषय :-

नकल प्रस्ताव प्रस्तुत करने बारे।

उपरोक्त विषय बारे ग्राम पंचायत अहमदपुर से प्राप्त प्रस्ताव नं० 20 दिनांक 29.03.2023 आपको नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

B.D.P.O., SIRSA

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

संख्या: 37-38

दिनांक: 13/04/2023

- 1- इसकी एक प्रतिलिपि संबंधित AFDC के एजा, को भेजते हुए निदेश दिए जाते हैं कि उन्हें फेरी की मोका मुकावत में क्षेत्रीय मंडल के कार्यालय को भी भेजें।
- 2- को सुचनाओं एवं आवेदनों सार्वजनिक हैं।

संक्षिप्त है।

— [Signature] —
स.प्र. हरि.व.वि.नि.लि.
सिरसा

प्रेषक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा ।
सेवा में .

A-2

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
सिरसा ।

यादी क्रमांक स्था-4-23/9098
दिनांक 22-09-2023

विषय :- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अहमदपुर में पेड़ों को काटने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा के पत्र क्रमांक जी-1-23/671 दिनांक 17-04-2023 के अनुसार ग्राम पंचायत अहमदपुर द्वारा नकल प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अहमदपुर में पेड़ों को काटने बारे मामला आपको आगामी नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

R-1720
22-09-23 HDFC

22/9/23
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
सिरसा। 22/9/23

22/9/23

क्रमांक:- 992

दिनांक:- 05/9/23

कृपया कृपया सति श्री श्रीम वि. व. व. की सूचनाओं को अगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Seen
GM, HFDC, Sirsa

General Manager
H.F.D.C Ltd., Sirsa